बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 12 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शुक्रवार, दिनांक 17.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 5.00 अपराह्न तक

1. **माननीय सभापति महोदय एवं अन्य तीन माननीय सदस्यों के निर्वाचित होने पर सदन द्वारा बधाई दिया जाना एवं माननीय सभापति महोदय एवं माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह द्वारा आभार प्रकट किया जाना**

सदन की बैठक आरंभ होते ही निम्नांकित माननीय सदस्यों ने माननीय सभापति महोदय एवं माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह के पुन: निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामना दी -

1. श्री सुशील कुमार मोदी
2. डा. दिलीप कुमार चौधरी
3. श्री केदारनाथ पाण्डेय
4. श्रीमती राबड़ी देवी
5. श्री मो. हारूण रशीद, माननीय उप सभापति
6. श्री नीरज कुमार
7. प्रो. नवल किशोर यादव
8. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
9. श्री सतीश कुमार
10. श्री मो. गुलाम रसूल

इसपर माननीय सभापति महोदय ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि माननीय सदन नेता और बिहार के मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी, यहां सदन में बैठे हुए माननीय मंत्रीगण, सभी दलों के माननीय नेतागण, माननीय सदस्यगण और विभिन्न दलों के पदाधिकारीगण !

आज मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं जब चुनाव मैदान में गया तो सभी लोगों का बहुत ही अपार समर्थन मिला और दिल से मिला और बड़े उत्साह से मिला। सभी लोगों ने पूछा कि सभी दल के लोग आपको समर्थन करते हैं। तो मैंने दो बात कही, हमने कहा कि हम उस सदन से आते हैं उस सदन के सभापति हैं जहां पर दल का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है और सभी लोग एक तरह से चलते हैं और इस सदन ने एक उपाधि दी है, अजातशत्रु की उपाधि दी है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको निभाने की भरपूर कोशिश करता रहा हूं और करते रहूंगा। दूसरी बात मैंने कहा कि उम्मीदवार जो होता है वह किसी दल का होता है, उम्मीदवार किसी पार्टी का होता है लेकिन जनप्रतिनिधि माटी का होता है। मतलब सभी क्षेत्र का, सभी जनता का, सभी दलों का, वह प्रतिनिधित्व करता है और इसी उम्मीद के साथ हमलोग पुन: यहां पर आये हैं और आप सदन के सभी लोग समर्थन किए। चूंकि सदन का सभापति जब चुनाव लड़ता है तो सदन की मर्यादा कहीं न कहीं इनवोल्व्ड रहती है और इसलिए सभी हमारे माननीय सदस्य, किसी न किसी रूप में अपने समर्थन को व्यक्त किए और यही उसकी अभिव्यक्ति हुई कि आज हमलोग वहां से रिकार्ड मत से जीत कर के आये हैं। अगर सभी दलों का समर्थन नहीं रहता तो ऐसा नहीं हो पाता और अपने नेता, सुशील मोदी जी और मंगल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भरपूर समर्थन दिया और मुझको जिताने में काम किया। साथ ही, सदन के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जो आपने जिम्मेदारी दी थी, वह जिम्मेदारी मैंने निभाई और उसका प्रतिफल है कि जनता का भी समर्थन मिला। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद के साथ-साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं।

तदुपरांत माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने भी आभार प्रकट किया।

2. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 110, 111, 112, 113 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 सदन पटल पर रखे गए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-134, 222, 224, 225, 233 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 223 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238 सदन पटल पर रखे गए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 222 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, माननीय मंत्री देख लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या- 225 पर पूछे जा रहे पूरक के क्रम में माननीय नेता, विरोधी दल, श्री सुशील कुमार मोदी की टिप्पणी पर माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने आपत्ति व्यक्त की। इसपर विरोधी दल एवं सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यगण आपस में जोर-जोर से बोलने लगे। आसन से माननीय सभापति महोदय ने शांति बनाये रखने का अनुरोध किया, तब सदन व्यवस्थित हुआ।

इस व्यवधान के कारण शून्यकाल की सूचनाएं नहीं पढ़ी जा सकीं।

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग के संबंध में कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री विनोद नारायण झा से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या-2, 4, 5, 17, 22 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यस्थगन के समर्थन में विरोधी दल के माननीय सदस्यगण अपने स्थानों से खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे तथा माननीय नेता, विरोधी, श्री सुशील कुमार मोदी ने भी कार्यस्थगन का समर्थन किया। माननीय सदस्यों के द्वारा कार्यस्थगन को स्वीकार किए जाने की पुनः मांग किए जाने पर आसन से नियमन दिया गया कि इसको अलग से लाइयेगा।

4. आसन को सूचना

माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने सूचना के माध्यम से इंटरमीडिएट के शिक्षकों के धरना की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराया।

(इस अवसर पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में विरोधी दल के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर जोर-जोर से बोलने लगे तथा प्रत्युत्तरमें सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण भी अपने स्थानों से जोर-जोर से बोलने लगे। माननीय नेता, विरोधी दल, श्री सुशील कुमार मोदी इस दौरान अपने स्थान पर बैठे रहे। आसन से बार-बार अनुरोध के बावजूद शोर-शराबा जारी रहा। अंततः सदन की कार्यवाही 2.00 अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गयी।)

(अंतराल)

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

5. आसन का अनुरोध एवं सदन की सहमति

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि यदि सदन की सहमति हो तो आज बहुत से ध्यानाकर्षण हैं और फिर वाद-विवाद भी है, अगर सदन सहमत हो तो ध्यानाकर्षणों को पढ़ा हुआ मान लिया जाय। इसपर सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्रीमती रीना देवी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय राशि की बढ़ोतरी एवं पेंशन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कपिलदेव कामत ने वक्तव्य दिया।

   आसन का नियमन एवं माननीय मंत्री का आश्वासन

   आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि जो चिंता माननीय सदस्यों की है कि आपने जो पैसा भेजा है, आप यूटिलाइजेशन भेजना जिन पदाधिकारियों का काम है, उनपर जवाबदेही फिक्स कीजिए कि वह पैसे का बंटवारा ससमय कर दें। ये माननीय सदस्य उनके प्रतिनिधि हैं और सदन में सवाल का उठा रहे हैं, इसको आप गंभीरता से लेंगे। इसपर माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि पुनः समीक्षोपरांत इसपर विचार होगा।

2. माननीय सदस्य, श्री मनोज यादव द्वारा बांका जिले में चान्दन नदी से बालू के हो रहे अवैध खनन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मुनेश्वर चौधरी ने वक्तव्य दिया।

   आसन का नियमन एवं माननीय मंत्री का आश्वासन

   आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि बात इतनी ही है कि आप बता दीजिए कि कहां-कहां पर गड़बड़ी है। आप उसको दिखवा लें और कार्रवाई करें। माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि मैं जांच करवा लूंगा। पुनः आसन से नियमन दिया गया कि उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई कीजिए। इसपर माननीय मंत्री ने कहा कि जांच प्रक्रिया अपनायी जाएगी और माननीय सदस्य को भी उसमें रखेंगे।

3. माननीय सदस्य, श्री सी.पी. सिन्हा द्वारा नौवतपुर-मसौढ़ी पथ स्थित देवी स्थान से दुल्हिन बाजार के जगदेव स्मारक तक के पथ के पक्कीकरण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री जय कुमार सिंह ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा बांका जिले के अल्पसंख्यक आजाद उच्च विद्यालय, विशनपुर के सुचारु रूप से संचालन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह द्वारा लखीसराय जिले के वंशीपुर गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

7. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(सहकारिता, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. डा. उपेन्द्र प्रसाद
2. श्री कृष्ण कुमार सिंह
3. श्री दिलीप राय
4. श्री रणविजय कुमार सिंह
5. श्री ललन कुमार सर्राफ

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से निम्नांकित माननीय मंत्रियों ने वक्तव्य दिया -

1. श्री जय कुमार सिंह
2. श्री आलोक कुमार मेहता

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच में ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण उठकर सदन से बाहर चले गये।)

3. माननीय मंत्री, डा. मदन मोहन झा ने अपना लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

8. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री सतीश कुमार
3. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा

4. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
5. श्री राधाचरण साह

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शनिवार, दिनांक 18.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

17/3/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 360 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 17.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

17-3-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्